भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1420
जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

विश्व विधिक सेवा दिवस

1420. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री सुब्रत पाठक :
श्री जी. सेल्वम :
श्रीमती संध्या राय :
श्री धनुष एम. कुमार :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री विजय कुमार दुबे :
श्री रेबती त्रिपुरा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल में विश्व विधिक सेवा दिवस, 2019 मनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा इस अवसर को मनाने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश के गरीबों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तमिलनाडु और त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न भागों में चल रहे विधिक सहायता प्राप्त क्लीनिकों/विधिक सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) समाज के गरीबों और वंचित वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सहायता प्रणाली के मानक और दिशानिर्देश क्या हैं और विशेषकर तमिलनाडु में नए विधिक सहायता क्लीनिक खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) क्या सरकार के पास गरीबों के लिए विधिक सहायता कार्यक्रम की निगरानी और

कार्यान्वयन मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता सेवाओं के लिए कितनी निधि आबंटित और व्यय की गई है और कितने लाभार्थियों को सरकार से सहायता प्राप्त हुई है ; और

(छ) क्या सरकार को विधिक सहायता की पहुंच नहीं होने के कारण देश में विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में बंद लोगों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, हां ।

(ख) : संपूर्ण देश में सभी विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रारंभ के स्मरणोत्सव के रुप में 9 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) विशिष्ट पीएलवी, अधिवक्ताओं, डीएलएसए और एसएलएसए के संस्तवन समारोह के साथ विधिक सेवा दिवस भी मनाता है। 9 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित उक्त कार्यक्रम में उपस्थित 36 एसएलए में से विशिष्ट पीएलवी, पैनल अधिवक्ता, डीएलएसए चयनित किए गए थे।

(ग) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन सभी स्तरों पर गठित विधिक सेवा संस्थाएं समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को, जो उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करती है। विधिक सेवा क्लीनिक के राज्यवार जिसके अंतर्गत तमिलनाडु और त्रिपुरा भी है, ब्यौरे उपाबंध क पर संलग्न है।

(घ) : समाज के गरीब और सीमांत वर्गो को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए मानदंड/मानक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ङ) : मॉनीटरी और परामर्शदाता समितियां सभी स्तरों पर प्रदान की गई न्यायालय प्रदत्त विधिक सेवाओं की निकट मॉनीटरी करने के लिए स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की अखिल भारतीय बैठक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षेत्रीय बैठकें, जो समय-समय पर आयोजित की जाती है, भी देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करती है। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में केंद्रीय प्राधिकरण भी समय-समय पर विधिक सेवा संस्थाओं के प्रदर्शन की पुनर्विलोकन करता है।

(च) : नालसा को आबंटित निधि, नालसा द्वारा उपयोग की गई निधि और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा जारी की गई निधियां	नालसा द्वारा उपयोग की गई निधियां	विधिक सेवाओं के माध्यम से फायदा प्राप्त करने वालों की संख्या
2016-17	63.37	113.03*	5,56,689
2017-18	100.00	116.43*	8,22,856
2018-19	150.00	155.55*	14,75,577
2019-20 (20.11.2019 तक)	140.00	132.66	4,10,989

* प्राप्त अनुदान के आधिक्य में उपयोग की गई रकम को पूर्ववर्ती वर्ष में उपयोग नहीं किए गए अनुदान और राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि की अन्य प्राप्तियों से पूरा किया जाता है।

(छ) : वर्ष 2017 के लिए प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश के कारागारों में 3,91,574 कैदियों की कुल क्षमता के विरुद्ध 4,50,696 कैदी रखे गए थे जो 115.1 प्रतिशत अधिभोग की दर दर्शाता है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कैदियों की अत्यधिक भीड़ के मुद्दे को संबोधित करते हुए राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को विचाराधीन व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए और विचाराधीन मामलों के पुनर्विलोकन को त्वरित करने के लिए कारागृहों में लोक अदालतें/विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उठायें जाने वाले कदमों पर विभिन्न सलाहें जारी की हैं। गृह

मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को मॉडल कारागृह निर्देशिका 2016 भी परिचालित की है जिसमें एक अध्याय 'विधिक सहायता', ऐसी सुविधाएं जिन्हें विचाराधीन व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है, अर्थात् विधिक रक्षा, वकीलों के साथ साक्षात्कार, वकालतनामें पर हस्ताक्षर करना, सरकारी लागत पर न्यायालय में आवेदन के लिए विधिक सहायता आदि, प्रदान करने के लिए है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) सभी विचाराधीन कैदियों को संपूर्ण भारत के कारागृहों में चलाए जा रहे विधिक सेवा क्लीनकों के माध्यम से मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करता है। नालसा ने "विचाराधीन विचारण पुनर्विलोकन समिति के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) " के रुप में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को 18.02.2019 को एसओपी परिचालित किया गया था।

****

उपाबंध-क

विश्व विधिक सेवा दिवस के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1420 जिसका उत्तर तारीख 27.11.2019 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट उपाबंध

देश में विधिक सेवा क्लीनिकों की संख्या (तारीख 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	विधिक सेवा क्लीनिकों की विद्यमान संख्या (कारागार निदान केन्द्र को छोड़कर)	कारागार में तारीख 30.6.2019 की स्थिति के अनुसार विधिक सेवा क्लीनिकों की विद्यमान संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	846	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	5
3.	असम	231	27
4.	बिहार	557	57
5.	छत्तीसगढ़	464	49
6.	गोवा	65	1
7.	गुजरात	616	49
8.	हरियाणा	500	19
9.	हिमाचल प्रदेश	250	12
10.	जम्मू - कश्मीर	255	15
11.	झारखंड	750	28
12.	कर्नाटक	849	71
13.	केरल	1,165	53
14.	मध्य प्रदेश	1265	105
15.	महाराष्ट्र	837	54
16.	मणिपुर	129	2
17.	मेघालय	245	5
18.	मिजोरम	136	9
19.	नागालैंड	121	1 1
20.	ओडिशा	298	86
21.	पंजाब	598	24
22.	राजस्थान	8526	97
23.	सिक्किम	30	02 (राज्य केंद्रीय कारागार, रोंगीक और जिला जेल, बूमटार)
24.	तेलंगाना	384	36
25.	तमिलनाडु	**527**	**128**
26.	त्रिपुरा	**482**	**13**
27.	उत्तर प्रदेश	602	97
28.	उत्तराखंड	267	14
29.	पश्चिमी बंगाल	1146	133
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	25	25
31.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	23	01
32.	दादरा और नागर हवेली	21	1
33.	दमण और दीव	9	1
34.	दिल्ली	52	17
35.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
36.	पुडुचेरी	9	4
	कुल	**22,297**	**1335**